<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक-322 / 2012</u> संस्थित दिनांक-17 / 04 / 2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर, जिला–बालाघाट (म.प्र.) ——————— **अभियोजन**

विरुद्ध

रमेश कुमार पिता स्व. नेतलाल चौधरी उम्र—38 वर्ष, निवासी—लूद, चौकी बिठली, थाना रूपझर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

– <u>अभियुक्त</u>

// <u>निर्णय</u> //

(आज दिनांक-18/02/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—279, 337, 427 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—21.03.2012 को 9:00 बजे रात्रि उकवा माईन्स अस्पताल के सामने आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50/जी—0318 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन से अन्य वाहन मेटाडोर कमांक—एम.पी. 50/जी—0342 को ठोस मारकर रिष्टी कारित की तथा आहत पूनाराम को उपहित कारित की।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—21.03.2012 को रात्रि 9:00 बजे उकवा माईन्स अस्पताल के पास रोड़ पर आरोपी ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50/जी—0318 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मेटाडोर कमांक—एम.पी.50/जी—0342 को टक्कर मारकर आहत पूनाराम को उपहित कारित कर दी। फिरयादी पूनाराम की सूचना पर पुलिस थाना रूपझर में आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—34/2012, धारा—279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, वाहन का नुकसानी पंचनामा तैयार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 427 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत पूनाराम ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है, जिसके फलस्वरूप आरोपी के विरूद्ध धारा—337 भा.द.वि. का अपराध शमन किया जाकर शेष धारा 279, 427 भा.द.वि. के अंतर्गत के अपराध का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतू निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है :-

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—21.03.2012 को 9:00 बजे रात्रि उकवा माईन्स अस्पताल के सामने आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / जी—0318 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन से वाहन मेटाडोर क्रमांक—एम.पी.50 / जी—0342 को ठोस मारकर रिष्टी कारित की ?

विचारणीय बिन्द्ओं का सकारण निष्कर्ष :-

- 5— पूनाराम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी रमेश को जानता है। घटना आज से लगभग एक साल पूर्व की है। वह मेटाडोर में बैठकर उकवा आ रहा था। उक्त मेटाडोर की ट्रेक्टर से टक्कर हो गई थी। टक्कर कैसे हुई और किसकी गलती से हुई उसे जानकारी नहीं है। टक्कर लगने से उसे पीछे कमर पर तथा पैर में चोट आई थी। घटना की रिपोर्ट उसने रूपझर थाने में की थी, जो प्रदर्श पी—1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। उसने पुलिस को घटनास्थल नहीं बताया था, किन्तु घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी—2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने टेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर मेटाडोर को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने उसकी पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 और पुलिस कथन प्रदर्श पी—3 में आरोपी द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारने की बात बताए जाने से इंकार किया है। साक्षी ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी—2 बनाए जाने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं आहत व फरियादी होते हुए भी अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।
- 6— कोमल (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। वह मेटाडोर क्रमांक—एम.पी. 50/जी—0342 को बालाघाट से लेकर उकवा आ रहा था। उकवा बस स्टेण्ड की ओर

से आ रहे ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / जी—0318 से टक्कर हो गई थी। घटना में फरियादी पूनाराम को चोट आई थी। उक्त घटना किसकी गलती से हुई थी, वह समझ नहीं पाया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने टेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर मेटाडोर को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—4 में भी उक्त बात बताए जाने से इंकार किया है। साक्षी के कथन से अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

- 7— मंगेश कुमार उजगांवकर (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और नहीं पुलिस ने उसके कोई बयान लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने टेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर मेटाडोर को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—11 में भी उक्त बात बताए जाने से इंकार किया है। साक्षी के कथन से अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।
- 8— धर्मेन्द्र ठाकरे (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि उसे ट्रेक्टर चलाने एवं सुधारने का 10 वर्षों से अनुभव है। उसके द्वारा दिनांक 23.03.12 को ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50/जी—0318 का परीक्षण किया था, जिसमें उसने उक्त ट्रेक्टर का इण्डीकेटर, बैक लाईट टूटा हुआ, ट्राली की टोचन राड, हिच हाइड्रोलिक पाइप, ट्राली का चेचीस ज्वाइंट टूटा हुआ था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथन में इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50/जी—0318 में टूट—फूट हुई थी।
- 9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी कपूरचंद बिसेन (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 21.03.12 को पुलिस चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पूनाराम की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा प्रदर्श पी—1 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक 0/12, धारा—279, 337 भा.द.वि. लेखबद्ध किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिसे असल नंबरी हेतु थाना रूपझर भेजा था जो चित्रराज बागड़े के द्वारा लेख किया गया है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उनके हस्ताक्षर को वह मली—भाती पहचानता हैं, क्योंकि उसने उसके करीब दो वर्ष तक कार्य किया है। विवेचना के दौरान दिनांक 22.03.13 को घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी पूनाराम, साक्षी कोमल, छोटू उर्फ नोपेन, तीरथ, अनिल एवं दिनांक 23.03.12 को मंगेश के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक 21.03.12 को घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50/जी—0318 जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—6 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त ट्रेक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम टूटा हुआ था। दिनांक 23.03.12 को आरोपी रमेश से ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन पत्र एवं ड्राईविंग लायसेंस जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—7 के अनुसार साक्षियों के

समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त ट्रेक्टर का साक्षियों के समक्ष नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी—8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—9 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त ट्रेक्टर का मैकेनिकल परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित की थी।

- 10— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी ने आरोपी के नाम से नामजद रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 में नुकसानी के बारे में नहीं बताया गया था। इस प्रकार मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। यद्यपि उक्त समर्थनकारी साक्ष्य का मामले में अधिक महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि मामले के महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।
- 11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षी कोमल (अ.सा.2) व मंगेश (अ.सा.5) ने कथित दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है। उक्त साक्षीगण ने दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर के चालक के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाए जाने से तथा अन्य वाहन मेटाडोर को टक्कर मारने से भी इंकार किया है। स्वयं आहत पूनाराम (अ.सा.1) ने भी अपनी साक्ष्य मे कथित दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर के चालक के रूप में आरोपी की पहचान तो की है, किन्तु उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाए जाने से तथा अन्य वाहन मेटाडोर को टक्कर मारने से भी इंकार किया है।
- 12— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से केवल यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना के समय टेक्टर व मेटाडोर की आमने सामने की टक्कर हुई थी, किन्तु उक्त दुर्घटना में आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चालन किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। अभियोजन की ओर से यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि आरोपी ने इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि फरियादी या किसी व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान हो, कथित वाहन को मेटाडोर से टक्कर मारकर रिष्टी कारित की है। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य का अभाव है। मामले में प्रस्तुत मात्र समर्थनकारी साक्ष्य से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।
- 13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर माईन्स अस्पताल के सामने आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर कमांक—एम.पी. 50/जी—0318 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर वाहन मेटाडोर कमांक—एम.पी.50/जी—0342 को ठोस मारकर रिष्टी कारित की।

फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 427 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है। 14-

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50 / जी-0318 मय 15— दस्तावेज के सुपुर्ददार सुनील बिसेन पिता फागूलाल बिसेन निवासी सोनेवानी जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे 🚺

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट